



चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द
Chaudhary Ranbir Singh University, Jind
(Established by the State Legislature Act 28 of 2014 and
recognized by UGC Act 1956 U/S 12-B & 2(f))



NOTIFICATION

In view of the instructions received from Deputy Commissioner, Jind vide No. 2977-90/M.A. dated 11.04.2023 (**copy enclosed**), the Competent Authority has made it compulsory to wear mask in University Campus with immediate effect, in view of the spread of corona virus.


REGISTRAR

Endst. No.CRSU/Acad./2023/5751-5789

Dated: 18.04.2022

Copy of above is forwarded to the following for kind information and necessary action:

1. Deputy Commissioner, Jind with reference to your office letter No. 2977-90/M.A. dated 11.04.2023.
2. Dean Academic Affairs, Chaudhary Ranbir Singh University, Jind.
3. Dean of Colleges, Chaudhary Ranbir Singh University, Jind with the request to circulate it among affiliated Colleges.
4. Dean Students' Welfare, Chaudhary Ranbir Singh University, Jind.
5. All Deans of Faculty/Director/Chairperson/In-Charges/Branch Officer, Chaudhary Ranbir Singh University, Jind.
6. Chief Warden/Warden(s) of all the Hostels, Chaudhary Ranbir Singh University, Jind.
7. Chief Security Officer, Chaudhary Ranbir Singh University, Jind.
8. Joint Director, (Audit), Chaudhary Ranbir Singh University, Jind.
9. System Analyst, Chaudhary Ranbir Singh University, Jind with the request to upload the notification on the University Website.
10. PS to Vice-Chancellor (for kind information of the Vice-Chancellor), Chaudhary Ranbir Singh University, Jind.
11. PA to Registrar (for kind information of the Registrar), Chaudhary Ranbir Singh University, Jind.


18.04.2023

**Assistant Registrar (Acad.)
For Registrar**

आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 3PM(COVID)/2023/3470-3599 दिनांक 08.04.2023 द्वारा सुचित किया गया है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में दिनांक 03.04.2023 को आयोजित बैठक अनुसार पिछले कुछ सप्ताह से राज्य में कोविड-19 संक्रमण की सकारात्मकता दर में वृद्धि के साथ कोविड मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तदनुसार कोविड-19 के एक ओर सम्भावित प्रकोप के खतरे से सम्बन्धित प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने उपरान्त स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत जारी और समय-समय पर संशोधित आदेश अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों जहां 100 से अधिक लोगों का जमावड़ा हो, सरकारी कार्यालय, मॉल आदि में आम जनता द्वारा फेस मास्क पहनना सही अर्थों में लागू किया जाए और आम जनता को सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उचित व्यवहार अपनाने के लिए निर्देश दिये हैं।

अतः वर्तमान समय में कोरोना वायरस के फैलाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए व संक्रमण के रोकथाम हेतु इस जिला के सार्वजनिक स्थानों, सरकारी/प्राइवेट कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाता है और सम्बन्धित अधिकारियों व विभागों को तुरन्त प्रभाव से उक्त निर्देशों की दृढ़ता से पालना करवाने के निर्देश दिये जाते हैं।

Mangal
जिलाधीश, जीन्द 11/4/2023

पृ० क्रमांक 2977-90/एम०ए०

दिनांक 11.04.2023

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ़।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 3PM(COVID)/2023/3470-3599 दिनांक 08.04.2023 के संदर्भ में।
4. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, चण्डीगढ़।
5. आयुक्त हिसार मण्डल, हिसार।
6. पुलिस महानिरीक्षक, हिसार रेंज, हिसार।
7. जिला सत्र एवं न्यायाधीश।
8. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।
9. पुलिस अधीक्षक, जीन्द।
10. अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
11. उपमण्डल अधिकारी (ना०), जीन्द, नरवाना, सफीदों एवं उचाना।
12. सिविल सर्जन, जीन्द।
13. उप-निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, जीन्द।
14. सभी विभागाध्यक्ष, जिला जीन्द।
15. निजी सहायक समीप उपायुक्त, जीन्द।

Mangal
जिलाधीश, जीन्द।